Received through Mail on 27.10.26

71

पत्रांक–21 / रा0सू0आ0–06 / 2025, सा.प्र. 13589

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

मो0 आफाक अहमद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सभी विभाग /
सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी /
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, बिहार।

JS (S. Baliram)

पटना–15, दिनांक 27.10.26

विषयः– **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त सूचनावेदनों एवं प्रथम अपील आवेदनों के ससमय निष्पादन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों एवं प्रथम अपील आवदेनों का ससमय नियमानुसार निष्पादन नहीं होने के कारण बिहार सूचना आयोग में द्वितीय अपील वादों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होती जा रही है।

2. बिहार सूचना आयोग में नियम के प्रतिकूल दायर द्वितीय अपीलवादों के नियंत्रण हेतु प्रथम अपीलीय प्राधिकार के द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपील वाद का विधिमान्य एवं तथ्यात्मक निपटारा किया जाना आवश्यक है। प्रथम अपीलीय प्राधिकार के द्वारा निर्धारित समय के अन्दर अपील का निष्पादन किए जाने से आवेदकों को भी सहूलियत होगी एवं बिहार सूचना आयोग में अनावश्यक द्वितीय अपीलवाद के मामले में भी कमी होगी। इसके अतिरिक्त, प्रथम अपीलीय प्राधिकार के द्वारा समरूप मामलों में एक साथ सुनवाई कर न्यायोचित एवं तथ्यात्मक आदेश पारित किये जाने से भी द्वितीय अपील वादों में कमी आ सकती है।

अतः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी लोक सूचना पदाधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त सूचनावेदनों एवं प्रथम अपील आवेदनों का ससमय, विधिसम्मत, तथ्यात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन करने तथा अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाय, ताकि बिहार सूचना आयोग में द्वितीय अपील वादों की संख्या में अनावश्यक वृद्धि न हो सके।

904
27/10/26

All S.O./A.SO.
S-31

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

प्राप्त
जल संसाधन विभाग
27.10.26
डायरी सं० 9273
दिनांक 27/10/26

विश्वासभाजन,

27/10/26

(मो0 आफाक अहमद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

952
28/10/26

d:\section 21\letter.docx

ज्ञापांक–31(सू.अ.को.)–67 / 2026– / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– सभी मुख्य अभियंता (यांत्रिक सहित), जल संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि पत्र मे वर्णित तथ्यों के संदर्भ में अपने अधीनस्थ लोक सूचना प्राधिकारों को निदेशित करने की कृपा की जाए।

ह0 / –

(मनजीत कुमार सिंह)
अवर सचिव–सह–लोक सूचना पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक–31(सू.अ.को.)–67 / 2026– 1526 / पटना, दिनांक– 06-11-2026

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, आई.टी. WRD सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

मनजीत
05.11.2026

(मनजीत कुमार सिंह)
अवर सचिव–सह–लोक सूचना पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग, पटना